

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(100)एमई/ग्रुप.1/93

जयपुर, दिनांक 23.04.2012

—: : आदेश : :—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चिकित्सको को सहायक आचार्य, फिजीयोलोजी के पद पर वैतनमान 15600-39100 मे अस्थाई रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते है । वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.2006 के अनुसार इनके वेतन भत्ते आदि देय होंगे । इस नियुक्ति पर उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कालेज में पदस्थापित किये जाते है -

क्र०सं०	चिकित्सक का नाम व पता	जन्म तिथि	रोल नम्बर	मेरिट क्रमांक	पदस्थापन स्थान
1	डॉ० वर्षा गुप्ता पत्नी श्री राजेश यादव, 1/4, गौधीनगर जयपुर	18.06.1975	100026	1- सामान्य (महिला सामान्य)	मेडिकल कालेज जयपुर
2	डॉ० कपिल गुप्ता, पुत्र डॉ० आर०सी०गुप्ता 1124 बरकत नगर जयपुर किसान मार्ग, टोकरोड जयपुर	26.03.1973	100005	2- सामान्य (सामान्य)	मेडिकल कालेज जयपुर
3	डॉ० जितेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री तेजराम गुप्ता 10/1/2 सैक्टर-10 विद्याधर नगर, जयपुर	15.05.1973	100004	3- सामान्य (सामान्य)	मेडिकल कालेज जयपुर

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान मेडिकल (कॉलेज ब्रांच) सेवा नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान के अनुसार जारी की गयी है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है। उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियम के अधिकथित निबन्धकों एवं शर्तों के एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन है।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र प08(1)कार्मिक/क-2/03 दिनांक 6.3.2009, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.13(1)वित्त/नियम/07 दिनांक 14.01.04, वित्त(नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/03 दिनांक 27.03.2003 के अनुसार अंशदायी पेशन के अन्तर्गत होगी। एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे। यह आदेश संबंधित चिकित्सक पर ही लागू होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है। उन्हे आदेश जारी होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत की देनी चाहियें।

आज्ञा से,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र सं० 7(12) भर्ती/गोपनीय/2010-11/30 दिनांक 11.4.2012 के संदर्भ में।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. सम्बन्धित चिकित्सक को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के माध्यम से।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।



शासन सहायक सचिव